

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
पीठासीन अधिकारी आशीष मोदी, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 62/2026 अन्तर्गत प्रतिभूति-हित का प्रर्वतन अधिनियम 2002

एसेट रिकंस्ट्रक्शन कम्पनी (इण्डिया) लि. जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री वीरेन्द्र यादव

पंजीकृत कार्यालय:- दी रूबी 10वीं मंजिल, 29, सेनापति बापट मार्ग, दादर (पश्चिम), मुम्बई 400028 (ARCIL-TRUST-2025-011 के ट्रस्टी की क्षमता मे)

-प्रार्थी (प्रतिभूति लेनदार)

बनाम

1. अभिषेक जेफ पुत्र रोहिताश्व निवासी शिव कॉलोनी, नया बास, नीमकाथाना सीकर राज.
2. कविता देवी पत्नि अभिषेक जेफ
प्रथम पता:- शिव कॉलोनी, नया बास, नीमकाथाना सीकर राज.
द्वितीय पता:- 149 नयाबास, नीमकाथाना सीकर राज.
3. संजय कुमार जेफ पुत्र रोहिताश्व जेफ
प्रथम पता:- 149 नयाबास, नीमकाथाना सीकर राज.
द्वितीय पता:- शिव कॉलोनी, नया बास, नीमकाथाना सीकर राज.
4. किरण पत्नी संजय जेफ
प्रथम पता:- नयाबास, नीमकाथाना, सीकर राज.
द्वितीय पता:- 149 नयाबास, नीमकाथाना सीकर राज.
5. मनोज कुमार मीणा पुत्र रामावतार मीणा निवासी 162, नीमकाथाना, नया बास, सीकर राज.

-अप्रार्थीगण (ऋणी/सहऋणी/बंधककर्त्ता)

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

स्वीकृति आदेश

दिनांक: 27 अप्रैल, 2026

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता श्री मनोज कुमार वर्मा द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस

(आशीष मोदी)

जिला मजिस्ट्रेट, सीकर



प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 क्रमशः अभिषेक जेफ पुत्र रोहिताश्व, कविता देवी पत्नि अभिषेक जेफ, संजय कुमार जेफ पुत्र रोहिताश्व जेफ, किरण पत्नी संजय जेफ व मनोज कुमार मीणा पुत्र रामावतार मीणा की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी के स्वामित्व की बंधक अचल सम्पत्ति पट्टा संख्या 30 संकल्प संख्या 178 जारी दिनांक 12.07.2017, नवीनीकरण दिनांक 23.08.2018 जरिये पंचायत के प्रस्ताव संख्या 03 स्थित ग्राम पंचायत नयाबास पंचायत समिति नीमकाथाना तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज में स्थित है। जिसका कुल क्षेत्रफल 200.00 वर्गगज है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं— पूरब दिशा में आम रास्ता, पश्चिम दिशा में श्रीराम का मकान, उत्तर दिशा में मदनलाल का मकान एवं दक्षिण दिशा में मदनलाल मीणा का मकान स्थित है। उक्त सम्पत्तियों को बंधक रखकर कुल ₹4,00,000/- रुपये (अक्षरे रुपये चार लाख) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 08.05.2025 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।



2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई।
3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।
4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक 08.05.2025 को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है जिसकी अप्रार्थीगण

(आशीष मोदी)

जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।

5. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 क्रमशः अभिषेक जेफ पुत्र रोहिताश्व, कविता देवी पत्नि अभिषेक जेफ, संजय कुमार जेफ पुत्र रोहिताश्व जेफ, किरण पत्नी संजय जेफ व मनोज कुमार मीणा पुत्र रामावतार मीणा की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी के स्वामित्व की बंधक अचल सम्पत्ति पट्टा संख्या 30 संकल्प संख्या 178 जारी दिनांक 12.07.2017, नवीनीकरण दिनांक 23.08.2018 जरिये पंचायत के प्रस्ताव संख्या 03 स्थित ग्राम पंचायत नयाबास पंचायत समिति नीमकाथाना तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज में स्थित है। जिसका कुल क्षेत्रफल 200.00 वर्गगज है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं— पूरब दिशा में आम रास्ता, पश्चिम दिशा में श्रीराम का मकान, उत्तर दिशा में मदनलाल का मकान एवं दक्षिण दिशा में मदनलाल मीणा का मकान स्थित है। उक्त बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के स्वीकृति आदेश प्रकरण अथवा बंधक सम्पत्ति पर किसी दिगर न्यायालय का स्थगन नहीं होने की शर्त पर दिये जाते हैं। उक्त आदेश की पालना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।



6. आदेश आज दिनांक 27 अप्रैल, 2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशीष मोदी)
 (आशीष मोदी)
 जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
 जिला मजिस्ट्रेट, सीकर